सत्संग सेक्रेटरी द्वारा प्रदत्त निर्देशावली 15.6.2020

(HINDI)

हाल ही में केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन की विधि में ढिलाई देने का सिद्धांत लिया है। मगर सभी जगहों में समानरूप से वह ढिलाई प्रयोज्य नहीं है।

कोभिड-19 महामारी के प्रकोप की तीव्रता के अनुसार सरकार ने जो जोन विभाजित किया है, ढिलाई भी उन स्थानों में उतना ही प्रयोज्य है। समय समय पर जिन सरकारी निर्देशिकाओं का प्रकाशन हुआ है, या स्थानीय प्रशासन जहाँ पर जिस तरह के नियमों की कठोरता या ढिलाई कार्यान्वयन करती है, सभी लोगों को उन स्थानों पर उसी तरह से विधि का पालन करना होगा।

समस्त सत्संग केन्द्र, मंदिर, विहार, उपयोजना केन्द्र तथा भक्त-अनुरागीगण जिससे कि सर्व अवस्था में सरकारी विधियों का परिपालन करते हुए चले, सभी लोगों को विशेष रूप से इसकी जानकारी दी जा रही है।

विभिन्न विषयों की समस्या संबंधित अनेक प्रश्न, जिज्ञासा, अनुसंधान केन्द्र सत्संग देवघर से पूछा जा रहा था, उस आधार पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से समाधान मूलक निर्देशिका प्रकाशित की जा रही है।

★★ यह निर्देशिका विशेषरूप से वर्तमान परिस्थिति के उद्देश्य में ही प्रदत्त है , स्वाभाविक परिस्थिति में जिसका अधिकांश ही पालनीय नहीं भी हो सकता है ।

©SATSANG

इष्टभृति जमा करने से संबंधित

प्रश्न -

★★ वर्तमान परिस्थिति में इष्टभृति जमा करने के संबंध में क्या निर्देश है ?

लॉकडाउन के समय अपने पास जमा व्यक्तिगत या पारिवारिक अर्घ्यादि को कहां किसप्रकार से जमा देना होगा ?

उत्तर-

★ वर्तमान परिस्थिति में फिलॉनथ्रापि के किसी भी काउन्टर में व्यक्तिगत रूप से अर्घ्य जमा देने की व्यवस्था स्थगित है।

★ प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने इलाकों में संभाव्यतानुसार स्थानीय उपयोजना केन्द्रों में अर्घ्य जमा करने की जानकारी दी जा रही है।

जिन स्थानों में लॉकडाउन हटा दिया गया है, या ढील दी गई है, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, अच्छी तरह से उसकी जानकारी लेकर उपयोजना केन्द्रों में इष्टभृति संग्रह करने की व्यवस्था शुरु करने का सिद्धांत लेना होगा। जिन सारे अंचलों में जनसाधारण के स्वाभाविक यातायात में किसी प्रकार की प्रतिबंधकता नहीं है , उपयोजना केन्द्र को फिर से चालू करन संभव है , उन अंचलों में लोग निज-निज उपयोजना केन्द्र के साथ फोन द्वारा संपर्क करके , कब कहाँ जमा देना है , उस विषय में जानकारी लेकर ही जमा देंगे ।

उपयोजना केन्द्र के परिचालकगण समय ठीक करके संभाव्यता के अनुसार आंचलिक दीक्षित लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे एवं जहाँ तक संभव हो विभिन्न समयों पर लोगों को आने का निर्देश देंगे ।

उपयोजना केन्द्र से फोन से संपर्क कर , कब कहाँ जमा देने जायेंगे , उसकी जानकारी लेकर उसीतरह से जमा देंगे ।

★ एकसाथ अनेक लोग एकत्रित जिससे न हो, इस ओर कठोर नियंत्रण रखना होगा।

★ वर्तमान परिस्थिति में जरूरत पड़ने पर उपयोजना केन्द्र / केन्द्र-मन्दिरों में एकाधिक दिन में अर्घ्य जमा लिया जा सकता है ।

★ मगर, जिस दिन जो जमा होगा, उसीदिन ही बैंक में सत्संग के निर्दिष्ट एकाउंट में उसे जमा दे देना है ।

प्रश्न -

****दीर्घदिनों से जमा इष्टभृति का अर्घ्य एकसाथ जमा किया जा सकता है क्या ? यदि हां तो क्या अलग-अलग फार्म में या एक ही फार्म में जमा दिया जा सकता है ?**

उत्तर -

जितने दिनों की इष्टभृति जमा है , सब एक ही फार्म में जमा होगा । कितने माह का है, उसका उल्लेख कर देने से ही होगा ।

★ उदाहरण-स्वरूप, यदि हर माह 50 /- प्रेरण किया जाता है , और तीन महीनों में 150 / - होता है तो भेजने के समय 150 / - न लिखकर 50 * 3 = 150 / - लिखने पर लगेगा कि तीन माह की इष्टभृति का अर्घ्य है ।

प्रश्न -

★★ सत्संग के प्रदत्त बैंक एकाउंट में (power jyoti) व्यक्तिगतरूप से अर्घ्य जमा देना क्या बाध्यतामूलक है ? बैंक के माध्यम से इष्टभृति भेजने की व्यवस्था रहते हुए भी , सभी के लिए विभिन्न कारणों से उस व्यवस्था में भेजना संभव नहीं हो रहा है । ऐसे समय में क्या करणीय है ?

उत्तर -

सत्संग के बैंक एकाउंटों में तुलनात्मकरूप से कम परिमाण में अपना व्यक्तिगत अर्घ्य को जमा करना , विशेषत: वर्तमान परिस्थिति में ,

नि:सन्देह ही असंभव सी बात है । व्यक्तिगतरूप से उसे जमा करने के संबंध में किसी भी प्रकार से बाध्यतामूलक नहीं है एवं सोशल मिडिया में दिये नोटिस में भी उसी प्रकार उल्लेख किया गया था । उपयोजना केन्द्र इत्यादि , जहाँ अनेक लोगों का सम्मिलित वृहत परिमाण का अर्घ्य जमा होता है , बैंक एकाउंट में वे ही जमा करेंगे ।

प्रश्न -

★★ उपयोजना केन्द्रों में अब क्या इष्टभृति संग्रह किया जा सकता है ? अर्घ्यप्रदाता व्यक्ति एवं ग्रहीता जो हैं वे केन्द्र / मन्दिर/ उपयोजना केन्द्र के संचालक - उभय के लिए ही उपयोजना केन्द्र या केन्द्र - मन्दिर के अर्घ्य को जमा करने के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश क्या है ? सभी क्या एकदिन में ही इष्टभृति जमा देंगे, या विभिन्न दिनों में जमा देंगे? उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की रक्षा के विषय में क्या निर्देश है?

बैंक के माध्यम से अर्घ्य जमा करने के संबंध में सभी के लिए क्या कोई विशेष का प्रयोजन है ?

उत्तर -

★ विशेषरूप से सभी को यह स्मरण रखना है, सत्संग के किसी बैंक एकाउंट में online अर्घ्य नहीं भेजेंगे । कारण, वह अर्घ्य किस उद्देश्य से भेजा गया है उसका कोई निर्दिष्ट तथ्य या विवरण साथ में नहीं भेजने पर वह अर्घ्य श्रीश्रीठाकुर की सेवा में किसी भी उद्देश्य में व्यवहार नहीं किया जा सकता है, परन्तु हिसाब रखने में असुविधा की सृष्टि होती है।

★ व्यक्तिगतरूप से जो फिलानथ्रापी के काउंटर में अपनी इष्टभृति का अर्घ्य जमा देते हैं, या फिलानथ्रापी के काउंटर में जो लॉट लेकर आते हैं, उनको विशेषरूप से अवगत कराया जा रहा है कि - देवघर, कोलकाता का अमरधाम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, सम्बलपुर सत्संग विहारों के फिलानथ्रापी के काउंटर में प्रत्यक्ष कोई अर्घ्य जमा देने नहीं जायेंगे ।

★ फिलानथ्रापी में केवलमात्र केन्द्र-मन्दिर से प्राप्त लॉट या By Regd.Post / Courier Service के माध्यम से प्राप्त लाट ही ग्रहण

किये जायेंगे । पुन: By Post / Courier Service से प्राप्त लॉटों को व्यक्तिगतरूप से भेजने से नहीं होगा । उनको उपयोजना केन्द्र या केन्द्र-मन्दिर से ही जिससे कि भेजा जाये ।

व्यक्तिगत अर्घ्य निज इलाके के उपयोजना केन्द्र के माध्यम से ही सत्संग केन्द्र-मन्दिर-विहार इत्यादि में डिपोजिट स्लिप में भरकर एवं हस्ताक्षर कर जमा देना होगा ।

★ जो अब तक व्यक्तिगतरूप से बैंक में अर्घ्य जमा किये हैं , वे अपने बैंक चलान का Satsang Copy , Devotee Copy व डिपोजिट स्लिप को हस्ताक्षर सहित उपयोजना केन्द्र में एकसाथ जमा कर देने पर संश्लिष्ट केन्द्र के मार्फत अर्घ्य-प्रस्वस्ति उनको मिल जायेगा ।

इस संदर्भ में उपयोजना केन्द्र के कर्मीयों को बारबार अवगत कराया जा रहा है कि , उन व्यक्तिगत अर्घ्यदाताओं के विवरणपत्रों को लॉट के साथ जमा न देकर एक-एक स्लिप व चलानों को एकत्र कर , अलगतरह से उल्लेखित कर केन्द्र-मन्दिर में जमा देना है । और केन्द्र-मन्दिर के कर्मीगण भी मानों उनको उसीतरह से पृथकरूप से ही फिलानथ्रापी में जमा करेंगे ।

★ जिन समस्त अंचल में सत्संग केन्द्र , उपयोजना केन्द्र , मन्दिर की संख्या कम या जहाँ एकदम ही नहीं है , उन समस्त अंचल के भक्तगण पूर्व की तरह व्यक्तिगत या समष्टिगत अर्घ्य स्वयं ही हो या उपयोजना केन्द्र के माध्यम से ही हो , निर्दिष्ट Bank Account में जमा देकर regd. post या courier service के माध्यम से अर्घ्य-विवरणी (Deposit Slip) एवं बैंक का लगाया गया मोहरवाले रसीद का Satsang copy व Devotee copy को सत्संग देवघर के फिलान्थ्रापी में भेजना है ।

★ उपयोजना केन्द्र के कर्मीयों को जानकारी दी जा रही है कि, उनके उपयोजना केन्द्र जिस केन्द्र-मन्दिर-विहार से युक्त है, वहाँ के परिचालक

के साथ फोन से संपर्क कर उनके द्वारा दिये गये निर्दिष्ट समय में जाकर ही लॉट एवं संश्लिष्ट डाक्युमेंट जमा करेंगे ।

★ केन्द्र-मन्दिरों की तरफ से फिलानथ्रापी के काउंटर में फोन से संपर्क कर समयमुताबिक आकर विभिन्न उपयोजना केन्द्र से संग्रहित लॉट जमा करेंगे एवं अर्घ्य-प्रस्वस्ति प्रिंट हो जाने पर फिर से फोन कर संपर्क करने संग्रह करेंगे या बाद के महीने में जमा देते समय पूर्व माह की अर्घ्य-प्रस्वस्ति का लॉट संग्रह कर लेंगे ।

प्रश्न -

★★ विगत नववर्ष तक जमा दीक्षाप्रणामी व दीक्षापत्र जमा देने के संबंध में क्या निर्देश है ?

★★ विगत नववर्ष उत्सव का अर्घ्य एवं रसीद को जमा करने के संबंध में क्या निर्देश है ?

उत्तर ---

व्यक्तिगत इष्टभृति प्रेरण करने के समय अलग डिपोजिट स्लिप में उल्लेख कर **दीक्षा-प्रणामी** एवं **निर्दिष्ट कोड UTSAV में beneficiary का नाम उल्लेख कर उत्सव अर्घ्य** भेजा जा सकता है ।

★★ सभी कर्मीयों को विशेषरूप से ध्यान रखना उचित है कि दीक्षाकालीन ठाकुर - प्रणामी का कोड DPRNM है एवं आचार्य-प्रणामी का कोड APRNM है ।

जब देवघर में आने की परिस्थिति होगी तब ही दीक्षापत्र एवं रसीद बुक जमा हो सकती है । इसके अलावा , यदि बाद में कोई अलग उपाय निर्देशित होता है, सभी को समय पर अवगत करा दिया जायेगा ।

★★ निवेदक व्यक्ति या परिवार से उपयोजना केन्द्र के द्वारा केन्द्र-मन्दिर के माध्यम से फिलानथ्रापी में इष्टार्घ्य पहुँचाना है - इस धारावाहिक

प्रक्रिया को सभी को ध्यान रखना है एवं यथायथरूप से परिपालन करना ही कर्तव्य है ।

विशेषरूप से ध्यान रखना है कि ---

१. जिससे कि संक्रमण की कोई संभावना न रहे उस ओर सभी को ही विशेष ध्यान रखना है । किसी भी प्रकार के देह का पास-पास रहना या झुंड बनना न हो , इस ओर कड़ी नजर देनी है । सोशल डिस्टेंसिंग , सैनिटाईज करना , बाध्यतामूलक मास्क व्यवहार करना बिल्कुल ही अनिवार्य है ।

२. पहले से संपर्क किये बिना या परिचालक की सम्मति के बिना कोई भी उपयोजना केन्द्र या केन्द्र-मन्दिर में अर्घ्य या डाक्युमेंट जमा देने नहीं जायेंगे ।

३. फिर , उपयोजना केन्द्र से या व्यक्तिगतरूप से केन्द्र-मन्दिर के माध्यम के सिवा अलग से अभी कोई भी फिलानथ्रापी काउंटर में अर्घ्य या गाक्युमेंट जमा देने नहीं आयेंगे । आने पर भी उसे ग्रहण नहीं किया जा सकेगा ।

४. प्रत्येक डिपोजिट स्लिप में अर्घ्यदाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है । उपयोजना केन्द्र के कर्मीगण अच्छी तरह से देख लेंगे कि हस्ताक्षर है या नहीं । एक ही परिवार या फैमिली कोड रहने पर सभी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है । ऐसे में परिवार के एक व्यक्ति का हस्ताक्षर रहने से ही होगा ।

५. सत्संग के बैंक एकाउंटों का चलान फार्म के तीन खंड हैं , एक बैंक में जमा होगा(Bank Copy) एवं बाकि दो खंड में बैंक से मोहर लगवाकर उसे फिलानथ्रापी में जमा देना है (Satsang Copy एवं Devotee

Copy)। बाद में Devotee Copy वापस कर दिया जायेगा , जो अपने पास जमा देने का प्रपत्र या रसीद के रूप में रहेगा ।

६. बैंक में अर्घ्य जमा देने के समय केवल यह देख लेना है कि , बैंक-कर्मीगण यथायथ मोहर लगाये हैं या नहीं ।

७. लोकबल कम रहने के कारण हो सकता है साथ ही साथ लॉट की अर्घ्य-प्रस्वस्ति देना संभव न हो । ऐसा होने पर , फिलानथ्रापी के जिस केन्द्र में जमा होगा , वहाँ के दायित्वशील व्यक्ति का फोन नम्बर रखना है एवं अपना नम्बर भी बता देना है , ताकि प्रिंट हो जाने पर खबर का आदान-प्रदान कर प्रस्वस्ति का लाट फिर से जाकर संग्रह किया जा सके ।

★★ डिपोजिट स्लिप व विभिन्न बैंक चलान को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें - www.satsang.org.in/forms

केन्द्र-मन्दिर में यातायात के संबंध में

प्रश्न -

★★ केन्द्र-मन्दिरों को कब से खोला जा सकता है ? केन्द्र-मन्दिरों में स्वाभाविकरूप से प्रवेश एवं अवस्थान की समयसीमा के संबंध में क्या-क्या विधिनिषेध हैं ? केन्द्र-मन्दिरों में एकसाथ कितने जन आ सकते हैं ? केन्द्र-मन्दिरों के खोलने एवं बंद रखने का नियम एवं उसकी समयसीमा क्या रहेगी ? किसी किसी जगह पर रेड जोन रहने के कारण वहाँ केन्द्र-मन्दिरों के खोलने के विषय में क्या कोई विशेष निर्देश है ?

उत्तर -

★ जिन सारे अंचलों में लॉकडाउन हटा लिया गया है या उसमें ढील दी गई है उन जगहों में स्थानीय प्रशासनिक दायित्वशील अधिकारी के साथ

परामर्श करके दिन के वक्त भोग के समय को छोड़कर घंटे भर के लिये भक्तगण के प्रणाम निवेदन के लिए बारी-बारी से 7 या 8 व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है । मगर प्रणाम करने के उपरांत ज्यादा देर कोई भी मानों वहाँ न रहें ।

ध्यान रखना है, परस्पर के बीच दूरत्व कायम रखना है एवं मास्क का व्यवहार अनिवार्य है ।

रेड जोन में बिल्कुल ही केन्द्र-मन्दिरादि खोला नहीं जा सकता है । इससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ सकती है ।

सभी अवस्थाओं में स्थानीय प्रशासनिक विधि-निषेध का पालन करना आवश्यक है । सोशल डिस्टेंसिंग, सौनिटाईजेसन, फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्यरूप से पालन किया जाना जाहिए । मर्जीमुताबिक जब-तब अपने समानुसार केन्द्र-मन्दिर में आना जिससे कि न हो ।

प्रश्न -

★★ प्रार्थना के समय केन्द्र-मन्दिरों में कितने लोगों को आने दिया जा सकता है ? केन्द्र-मन्दिरों में सत्संग का आयोजन क्या किया जा सकता है ? यदि हाँ तो किस तरह से ? केन्द्र-मन्दिर, उपयोजना केन्द्रों में सत्संग या पारिवारिक / गृह-सत्संग किया जा सकता है या नहीं, एवं करने पर किस पद्धति में और उपस्थिति की संख्या कहाँ तक रखी जा सकती है ?

★★ केन्द्र-मन्दिर में प्रार्थना या सत्संग में माईक का व्यवहार किया जा सकता है या नहीं?

★★केन्द्र-मन्दिरों में पालन किये जानेवाले अनुष्ठानों के उपलक्ष्य में सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया जा सकता है या नहीं ? स्थानीय उत्सवादि के आयोजन के संबंध में क्या करना है ?

उत्तर -

★ जो सभी दर्शनार्थी बाहर से आयेंगे उनको **<u>वर्तमान स्थिति में प्रार्थना के समय केन्द्र-मन्दिर में आने से विरत रहने की जरूरत है ।</u>** और भी कुछ दिन बीत जाने पर, परिस्थिति का अनुधावन कर फैसला लिया जा सकता है ।

लोगों को समवेत कर कहीं भी सत्संग या मातृसम्मेलन करने पर पहले प्रशासनिक सिद्धांत को मानना अनिवार्य है एवं सर्वोपरि स्वंय संक्रमित होना एवं दूसरे को संक्रमण का मौका देना - इन विषयों को दिमाग में रखना है । अतएव, अभी **फिलहाल कुछ दिनों तक यह सब स्थगित रखना ही श्रेय है** ।

केन्द्र मन्दिरों में अभी सत्संग होने पर लोग समवेत होंगे । बहिरागतों के योगदान तथा लोगों को समवेत होने देना वर्तमान परिस्थिति में अभिप्रेत नहीं । जो एकसाथ वास करते हैं, उनका समवेत रूप से सत्संग करने में कोई असुविधा नहीं है । कम लोगों की उपस्थिति में सत्संग यद्यपि किया जा सकता है, मगर किसी भी अवस्था में ही जनसमावेश नहीं किया जा सकता है ।

सत्सग विहार, श्रीमन्दिर, उपासना केन्द्र, सत्संग केन्द्र (स्थायी/ अस्थायी), अधिवेशन केन्द्रों में अभी भी कुछ दिनों तक माईक का व्यवहार स्थगित रखने का सिद्धांत लिया गया है ।

केन्द्र-मन्दिरों में पालित होनेवाले अनुष्ठानों को परिस्थिति के अनुसार जब या जिसतरह से पालन किया जाता है, उसे उसी प्रकार से ही करना है ।

यदि बचने-बढ़ने के प्रयोजन से समवेत आनन्द-उल्लास, उत्सवादि उद्यापन स्थगित रखना है, तो वही करना होगा । इसके अलावा, ऐसे मामले में भी **प्रशासनिक सिद्धांत को मानना व प्रशासनिक अनुमति के सिवा कोई भी जनसमागम नहीं करना ही वांछनीय है ।**

प्रश्न -

★★ लॉकडाउन खुलने पर केन्द्र-मन्दिरों के अतिथि आवास में ठहरने के विषय में क्या-क्या विधिनिषेध को पालन करना होगा एवं भंडारा चलाने के विषय में क्या करना होगा? केन्द्र-मन्दिरों को रोग या दूषणमुक्त किसतरह से रखा जा सकता है? केन्द्र मन्दिरों में जनसाधारण के प्रवेश के संबंध में प्राथमिकरूप से अवश्यपालनीय सदाचार-विधि, जैसे कि - फेसमास्क, सैनिटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करना क्या बाध्यतामूलक है?

उत्तर -

अभी केन्द्र-मन्दिर के अतिथि आवास में रहने की व्यवस्था या भंडारा इत्यादि का आयोजन नहीं करना ही श्रेय है । जब सर्वांश वैसी परिस्थिति होगी, तब सिद्धांत लिया जायेगा । वर्तमान समय में आभ्यंतरीन लॉकडाउन मानकर चलना ही उचित है ।

प्रत्यक्ष जनसमागम से जितना बचा जाये, जो केन्द्र-मन्दिर में वास करते हैं वे जितना कम बाहर मेलजोल रखें, एवं मास्क, डिस्टेंसिंग, सैनिटाईजेसन इनसब का सदव्यवहार जितना किया जाये, उतना ही दूषणमुक्त रहना संभव है । **केन्द्र-मन्दिरों में जनसाधारण के प्रवेश के मामले में (अवश्य ही नियंत्रितरूप से) प्राथमिकरूप से अवश्य-पालनीय सदाचार-विधि, यथा - पेसमास्क, सैनिटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य है ।**

प्रश्न -

★★ वर्तमान में दीक्षा दी जा सकती है या नहीं, एवं कितने लोगों को एकसाथ दीक्षा दी जा सकती है? ऋत्विकगण कहाँ, किन-किन परिस्थिति में एवं किसतरह से दीक्षादान कर सकते हैं? दीक्षाप्रार्थी को दीक्षादान के समय या गणदीक्षा के समय कर्मीयों के क्या-क्या करणीय हैं ?

★★ शहर में, गाँव में याजन परिक्रमा एवं किसी के घर में दीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं? लोगों को अपने पास या अपने घर में बुलाकर दीक्षादान किया जा सकता है या नहीं?

उत्तर -

★ सर्ववस्था में इष्ट के संग युक्त रहना व पारिपार्श्विक को इष्ट के साथ युक्त करने प्रचेष्टा नित्य करणीय है । **दीक्षाप्रार्थी को दीक्षा देना अवश्य ही उचित है, मगर वर्तमान परिस्थिति में उसे किसतरह से कितना कार्यकर किया जा सकता है, उस विषय को भी ध्यान में रखने का एकांत ही प्रयोजन है । विशेष तौर पर, दीक्षाप्रार्थी का साम्प्रतिक साम्प्रतिक भ्रमण वृतान्त व दैनन्दिन जनसंयोग के संबंध में अच्छीतरह से जानकारी लेकर, समझ-बूझकर व विचार कर तभी सिद्धांत लेना है । स्वयं संक्रमित होना व दूसरे को संक्रमित होने का अवसर देना - किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है ।**

इसलिए सभी कामों की सीमा में रहकर संयत होकर जितना किया जाये, उसी प्रकार से करना होगा । जिन सारी सावधानियों का अवलम्बन करना उचित है, उनसब को अवश्य ही पालन करना उचित है ।

एकसाथ अनेक लोगों को इस परिस्थिति में दीक्षादान नहीं करना ही श्रेय है । और भी कुछ दिनों तक गाँव में , शहर में या घर-घर परिक्रमा के माध्यम से दीक्षाकार्य स्थगित रखना ही उचित है ।

प्रश्न -

★★ याजन-कार्य में घर-घर जाया जा सकता है ?

उत्तर ----

जहाँ तक प्रत्यक्ष शारीरिक नैकट्य परिहार किया जा सके उतना ही अच्छा है । किसी के घर की कैसी परिस्थिति है, रोग का संक्रमण कहीं है या नहीं इसे समझना नितांत ही असंभव है । इसके अलावा, जिसके घर में जाया जा सकता है, वे किस तरह से इसे लेंगे यह भी विचार्य्य है ।

प्रश्न -

★★ याजन-कार्य में किसी के घर में जाने पर वहाँ खान-पान करना उचित है या नहीं ?

उत्तर -

अंजान व्यक्ति के संग अकस्मात खाद्य-पेय के संश्रव में आना सदाचार की दृष्टि से किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है । **वह सर्वतोभाव से शारीरिक व मानसिक सदाचार परिपालन का अन्तराय एवं परमदयाल का अभिप्रेत आचरण भी नहीं है ।** वर्तमान परिस्थिति में और भी अधिक इन विषयों को ध्यान में रखना उचित है ।

प्रश्न -

★★ जिनका नववर्ष में पंजा रिन्यु था या आगामी कान्फ्रेन्स में है , उनके लिए क्या निर्देश है ?

उत्तर -

★ पंजा रिन्यु करने के लिए देवघर आना पड़ेगा जो कि अभी संभव नहीं है । झरखंड में फिलहाल 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है । **दीक्षादाता कर्मीगण पंजा की मियाद (अवधि) समाप्त होने पर रिन्यु जब तक नहीं होता है तब तक दीक्षा नहीं देंगे । जिन कर्मीयों को पंजा रिन्यु करना है , ऋत्विक कार्यालय से उनके मोबाईल फोन पर मेसेज भेजा जायेगा ।**

विविध विषय संबंधित

प्रश्न -

★★ लॉकडाउन खुलने पर सपरिवार ठाकुरबाड़ी में जाया जा सकता है? यदि हाँ तो कितने जन? भक्त साधारण के ठाकुरबाड़ी आगमन के विषय में सुस्पष्ट निर्देशिका का प्रयोजन है । ठाकुरबाड़ी जाने की अनुमति पाने पर आगत भक्तों को किन-किन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ?

उत्तर ---

झारखंड राज्य में लॉकडाउन फिलहाल 30 जून तक रहेगा । लॉकडाउन खत्म हो जाने पर क्या करणईय है, यथासमय उसकी जानकारी दी जायेगी ।

ठाकुरबाड़ी में आने के संबंध में किसी से व्यक्तिगतरूप से फोन पर संपर्क न करके Communication Center में (18003450122) संपर्क करना है 30 जून के बाद । अभी यहाँ समस्त अतिथि आवास (Guest House) सह सुविधान कार्यालय (Accomodation Department) बंद है ।

प्रश्न -

★★ ऑनलाईन सत्संग करने का अनुमोदन है या नहीं अनेक व्यक्ति जानना चाहते हैं । इस विषय में अनेक प्रकार के मत की सृष्टि हुई है ।

उत्तर ---

उद्देश्य यदि प्रकृत ही इष्ट का स्मरण , मनन , गुणानुकीर्त्तन व अनुध्यान हो, तो किसी भी प्रकार से या माध्यम से ही उसे किया जा सकता है ।

प्रश्न -

अनेक केन्द्र-मन्दिर, उपयोजना केन्द्र इत्यादि सरकारी राहत कोष में सहायता के लिए अर्थ जमा दे रहे हैं, मगर स्थानीय अनेक दीक्षित दु:स्थ मनुष्य बहुत कष्ट में दिन बिता रहे हैं । ऐसे मामले में क्या करणीय है ?

उत्तर ----

अनेक केन्द्र-मन्दिर, उपयोजना केन्द्र, इत्यादि इन सब के साथ साथ परिवेश के दीक्षित-अदीक्षित निर्विशेष समस्त पीड़ित लोगों के अन्नवस्त्र की व्यवस्था दिन पर दिन किये जा रहे हैं । यहाँ तक कि, अनेक स्थानों में पशुपक्षियों के खाद्य की बन्दोबस्त भी सत्संगीगण कर रहे हैं । परिवेश के लोग सचेतन व सक्रिय होने पर, यहाँ तक कि मत-माथा में एक होकर दो व्यक्ति भी जीवनवृद्धिद शुभ प्रचेष्टा से अग्रसर होने पर जो कर सकते हैं, तब और दूसरे किसी पर दोषारोप करने की जरूरत नहीं होती है ।

प्रश्न -

★★ इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए या संक्रमित नहीं होने के लिए क्या कोई विशेष निर्देशिका है ?

उत्तर -

★ सुनिष्ठभाव से यजन-याजन-इष्टभृतिपरायण होकर, सक्रिय तत्परता से स्वस्त्ययनी की जीवनीय पंचनीति का परिपालन करना है एवं सर्वोतभाव से सदाचारी आचरण में अभ्यस्त होकर चलना है ; एवं विधिनियम जब

जिस अवस्था में जिसतरह से प्रयोज्य है उसे मानकर चलना है - इसप्रकार चल पाने से बहुलांश में ही रक्षा मिल सकती है ।

भोग- मेन्टिनेंस के संबंध में

१. अनेक केन्द्र-मन्दिर में कुछ न कुछ मेन्टिनेंस या रंग-रोगन का काम अनेक दिनों से करने की जरूरत है । ये सारे काम क्या किये जा सकते हैं?

२. अनेक जगहों में कॉनस्ट्रकशन का काम रूका हुआ है । वे काम क्या शुरु किये जा सकते हैं? विशेषरूप से उन जगहों में जो ग्रीन जोन में पड़ते हैं?

३. मेन्टिनेंस एवं कंसट्रकशन - इन दो मामलों में ही फिलानथ्रापी के साथ संपर्क करने की जरूरत रहती है । उस संबंध में क्या करणीय हैं?

४. असमाप्त मन्दिर का काम क्या शुरु किया जा सकता है? मन्दिर के काम के लिए फिलानथ्रॉपी से अर्घ्य निकालने की जरूरत है । मेन्टिनेंस के लिए भी वैसी ही जरूरत है । इसे संबंध में क्या करणीय हैं?

५. जिन केन्द्र-मन्दिरों का साध्य-सामर्थ्य तुलनात्मकरूप से कम है, उनको भोग की व्यवस्था व अर्घ्यादि विषय में दैनन्दिन संग्रह के उपर ही निर्भर करना पड़ता है । लॉकडाउन के समय से इस विषय में अनेक असुविधा हुई है । अभी क्या स्वाभाविक किया जा सकता है?

६. ठाकुरभोग एवं मेन्टिनेंस, इन दो विषयों में ही फिलानथ्रॉपी से अर्घ्य लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी बंद है । इसलिए इन सभी विषय में अत्यंत असुविधा के सम्मुखीन होना पड़ रहा है । ऐसी अवस्था स्वाभाविक कब होगी? विशेषत: ठाकुरभोग तो बंद नहीं किया जा सकता !

७.आमफान तूफान से अनेक केन्द्र-मन्दिरों में कमोबेश विभिन्न प्रकार की क्षयक्षति हुई है, जिनकी तुरंत मरम्मत के लिए शीघ्र ही काम शुरु करने की जरूरत है । उसके लिए अर्घ्य संग्रह, फिलानथ्रॉपी में जमा देना, फिर दरख्वास्त देकर रूपये निकालना - ये सब तो दीर्घमियादी प्रक्रिया है । मगर काम नहीं करने से नहीं होगा । इस संबंध में क्या करना है ?

उत्तर -

★वर्तमान परिस्थिति में सरकारी अनुमति या निर्दिष्ट सर्कुलर नहीं रहने पर कोई भी construction का काम नहीं किया जा सकता है ।

स्थानीय प्रशासन की अनुमति मिलने पर छोटा-मोटा थोड़ा-बहुत जरूरी काम स्वयं ही जहाँ तक हो लेबर-मिस्त्री को लगाये बिना किया जा सकता है ।

मोबाईल के माध्यम से संपर्क करके ही काम चलाने लायक प्रयोजनीय अर्घ्य संग्रह करने की चेष्टा करनी है । उपयोजना केन्द्र में पृथक डिपोजिट स्लिप (इष्टभृति का अर्घ्य जिसमें जमा नहीं हुआ है) निर्दिष्ट केन्द्र-मन्दिर के कोड का उल्लेख कर प्रयोजनीय अर्घ्य सभी जमा दे सकते हैं ।

जिन केन्द्र-मन्दिरों को भोग, maintenance इत्यादि के लिए फिलानथ्रॉपी से अर्घ्य लेने की जरूरत है, उनको उस केन्दर-मन्दिर के पैड या लेटर हेड पर कोड का उल्लेख कर एवं पूर्व में सर्वशेष कितना अर्घ्य निकाला गया है उसकी जानकारी देकर, वर्तमान में अर्घ्य निकालने का कारण एवं परिमाण की जानकारी देते हुए फिलानथ्रॉपी से स्वीकृत उक्त केन्द्र-मन्दिर के भारप्राप्त कर्मी का नाम, हस्ताक्षर, उनके जिस एकाउंट में अर्घ्य भेजना है उसका पूरा विवरण (एकाउंट नम्बर व IFSC Code), उनके पासबुक व चेक की स्कैन की गई कॉपी सहित

satsangphilanthropy@gmail.com इस e-mail ID में e-mail कर सत्संग सेक्रेटरी के पास दरखास्त करना है ।

SCAN TO AUTHENTICATE
WITH satsang.org.in